

माननीय अजय कुमार मित्रल और रामेंद्र जैन, न्यायमूर्ति के समक्ष

जसवंत सिंह मान और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य - प्रतिवादी

2015 का सीडब्ल्यूपी नंबर 21317

अक्टूबर 06, 2015

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - वित्त अधिनियम, 2012 - धारा 65 बी (37) - अचल संपत्ति को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पट्टे पर देने पर सेवा कर की वसूली - आम सूचनाएँ - जारी करना - वैधानिकता- माना गया, याचिकाकर्ताओं को सामान्य और अलग नोटिस दिया गया- याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि संसद को क़ानून में 'व्यक्ति' शब्द को परिभाषित करने का अधिकार नहीं था - जिसमें व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है चाहे वह निगमित हो या नहीं - यह दिखाने के लिए सबूत के अभाव में कि अधिनियमित प्रावधान मनमाना, भेदभावपूर्ण या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है - हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि "व्यक्ति" शब्द को वित्त अधिनियम की धारा 65 बी के खंड 37 (vii) के तहत व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय के संघ को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, चाहे वह **निगमित** हो या नहीं। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता विचाराधीन परिसर के मालिक हैं। वे किरायेदार से हालांकि व्यक्तिगत रूप से किराया प्राप्त कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि संसद को क़ानून में 'व्यक्ति' शब्द को परिभाषित करने का अधिकार नहीं था। एक बार जब संसद में एक प्रावधान को लागू करने के लिए विधायी क्षमता मौजूद है, तो याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की अनुपस्थिति में यह प्रदर्शित करने के लिए कि यह मनमाना, भेदभावपूर्ण या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, भारत के संविधान के

अनुच्छेद 226/227 के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है। नतीजतन, याचिका में कोई दम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

(पैरा 5)

याचिकाकर्ताओं के
वकील..... बीएस बेदी।

अजय कुमार मित्तल, न्यायमूर्ति ।

1. याचिकाकर्ताओं ने धारा 65 बी (37) की वैधता को चुनौती दी है। वित्त अधिनियम, 2012 (संक्षेप में, "वित्त अधिनियम") जिसके तहत "व्यक्ति" शब्द को व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें "व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं"। वित्त अधिनियम की धारा 65 बी (37) में परिभाषित "व्यक्ति" की परिभाषा के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं को संयुक्त रूप से सेवा कर के दायरे में रखने के लिए उत्तरदाताओं को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं को किराए पर देने के उद्देश्य से अचल संपत्ति के संयुक्त धारक के रूप में मानते हुए उत्तरदाताओं को वर्ष 2013-14 से पहले पिछले वर्षों के लिए सेवा कर लगाने के लिए किसी भी प्रक्रिया को जारी करने से रोकने के लिए भी प्रार्थना की गई है।
2. याचिका में वर्णित विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता एससीओ नंबर 341-342, सेक्टर 34 ए, चंडीगढ़ और एससीओ नंबर 184, सेक्टर 7 सी, चंडीगढ़ के समान शेषों के मालिक हैं। उन्होंने उपरोक्त परिसर को छोड़ दिया है और किरायेदारों से व्यक्तिगत रूप से अपने संबंधित शेषों की सीमा तक किराया प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें किरायेदारों से संयुक्त रूप से कभी किराया नहीं मिला है। याचिकाकर्ताओं के पास उक्त संपत्ति में निश्चित शेषर यानी 1/6 हिस्सा है और यह उनके खाते की पुस्तकों में दर्ज है और उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर किए गए आईटीआर में दर्शाया गया है। याचिकाकर्ताओं को "वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अचल संपत्ति को किराए पर देने/पट्टे पर देने पर सेवा कर का भुगतान" विषय के तहत दिनांक 2.12.2014 को सामान्य नोटिस जारी किया गया था। उन्हें कुछ दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए 15.7.2015 को अलग से एक नोटिस भी दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 24.7.2015 के पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से आवश्यक जानकारी प्रदान की। याचिकाकर्ता आयकर दाता हैं और आयकर का भुगतान कर रहे हैं और व्यक्तिगत

रूप से आईटीआर दाखिल कर रहे हैं क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से किराया प्राप्त कर रहे हैं और उपरोक्त अचल संपत्ति को समान शेरों में सह-मालिक के रूप में रख रहे हैं। वित्त अधिनियम, 2012 ने धारा 65 बी के खंड 37 को पेश किया जहां "व्यक्ति" शब्द की परिभाषा में "व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है चाहे वह निगमित हो या नहीं"। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इस खंड को शामिल करने से वित्त अधिनियम के दायरे में सेवा कर लगाने के लिए उत्तरदायी बनाकर उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है क्योंकि वे उक्त अचल संपत्ति में अपने शेरों की सीमा तक व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व का अधिकार रखते हैं, हालांकि वे समान शेरों में सह-मालिक हैं। इसलिए वर्तमान रिट याचिका।

3. हमने याचिकाकर्ताओं के वकील को सुना है।
4. याचिकाकर्ताओं ने वित्त अधिनियम धारा 65 बी (37) को चुनौती दी है जिसके तहत "व्यक्ति" परिभाषित किया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उपरोक्त प्रावधान जनरल क्लॉजेज एक्ट, 1897 की धारा 3(42) और आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 26 के विपरीत है जो इस प्रकार है:-

वित्त अधिनियम, 2012 की धारा 65ख का खंड 37

"इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो: xxxxxx
"व्यक्ति" में शामिल है:

- (i) एक व्यक्ति,
- (ii) एक हिंदू अविभाजित परिवार,
- (iii) एक कंपनी,
- (iv) एक समाज
- (v) एक सीमित देयता साझेदार
- (vi) एक फर्म
- vii) व्यक्तियों या व्यक्तियों के निकाय का एक संघ, चाहे वह निगमित हो या न हो
- viii) सरकार
- (ix) एक स्थानीय प्राधिकरण, या

प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, किसी भी कार्यवाही के उप-खंड के अंतर्गत नहीं आता है।”

धारा 26, आयकर अधिनियम, 1961

“जहां भवन या भवन और उससे संबंधित भूमि से युक्त संपत्ति दो या दो से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व में है और उनके संबंधित शेयर निश्चित और पता लगाने योग्य हैं, ऐसे व्यक्तियों को ऐसी संपत्ति के संबंध में व्यक्तियों के संघ के रूप में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, धारा 22 से 25 के अनुसार गणना की गई संपत्ति से आय में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा उसकी कुल आय में शामिल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: धारा 23 की उपधारा (2) के प्रावधानों को लागू करने में इस धारा के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से की गणना इस खंड में संदर्भित की जाती है, ऐसे हिस्से की गणना की जाएगी, जैसे कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उस उपधारा में प्रदान की गई राहत का हकदार है।

सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3(42)

“इस अधिनियम में, इस अधिनियम के लागू होने के बाद बनाए गए सभी केंद्रीय अधिनियम और विनियम, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो—

“व्यक्तियों” में कोई भी कंपनी या व्यक्तियों का निकाय शामिल होगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं।”

5. उपर्युक्त उपबंधों के अवलोकन से पता चलता है कि “व्यक्ति” शब्द को वित्त अधिनियम की धारा 65ख के खंड 37(vii) के अंतर्गत व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, चाहे वह निगमित हो या न हो। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता विचाराधीन परिसर के मालिक हैं। वे किरायेदार से हालांकि व्यक्तिगत रूप से किराया प्राप्त कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है कि संसद को कानून में ‘व्यक्ति’ शब्द को परिभाषित करने का अधिकार नहीं था। एक बार जब संसद में एक प्रावधान को लागू करने के लिए विधायी क्षमता मौजूद है, तो याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की अनुपस्थिति में यह प्रदर्शित करने के लिए कि यह मनमाना, भेदभावपूर्ण या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसे असंवैधानिक घोषित नहीं

किया जा सकता है। तदनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है। नतीजतन, याचिका में कोई दम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

शैली नैन,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
पानीपत, हरियाणा